न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय सहारनपुर।

प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र संख्या– 169 / 2026

मौ0 आरिफ **बनाम** **हिंमाशु यादव आदि।**

थानाः– फतेहपुर, जिला सहारनपुर।

04–07–2026

पत्रावली आज आदेशार्थ पेश हुई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पर पूर्व में सुना जा चुका है।

संक्षेप मे प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी पेशे से अधिवक्ता है और सिविल कोर्ट सहारनपुर मे विधि व्यवसाय करता है। दिनांक 19.05.2026 ई० को समय करीब शाम के 4:30 बजे मुझ प्रार्थी के बहनोई इसरार व भाई आसिफ व बुआ का लडका राजा मेरी बहन को रूडकी डॉक्टर के यहां से ग्राम सैय्यद माजरा जा रहे थे। तो प्रार्थी के बडे भाई जैसे ही सैय्यद माजरा टोल टैक्स पर पहुंचे तो टोल टैक्स वाले टोल मांगने लगे तो प्रार्थी के बडे भाई आसिफ ने उनको कहा कि हम लोकल के व्यक्ति है। उक्त टोल हमारे ही गांव मे ही आता है। इस वजह से हमारे गांव वालो के वाहनो का टोल फ्री है। परन्तु मौजूद टोल कर्मी शिवम ने प्रार्थी के बडे भाई से कहा कि यहां पर किसी का टोल फी नही है और गाली गलौच से बात करने लगा। प्रार्थी के बडे भाई ने गाली गलौच करने से मना किया तो उक्त टोल कर्मी तैश में आ गया और उसके साथी टोल कर्मी हिमांशु यादव पुत्र राजकुमार उर्फ रज्जा निवासी ग्राम निवादा तिवाया, अनिल त्रिपाठी, राकेश सेखावत, संदीप व काका आदि भी आ गये और आते ही प्रार्थी के बडे भाई के साथ मारपीट करने लगे तब तक मुझ प्रार्थी के बहनोई इसरार भी कार से बाहर आ गये और झगडा न हो इस वजह से टोल कर्मीयो को समझाने लगे। परन्तु अनिल त्रिपाठी ने अपने हाथ मे ली होकी से मुझ प्रार्थी के बहनोई पर जान से मारने की नियत से हमला कर दिया। जिससे उनके सिर से खून आने लगा और वह लहुलुहान होकर नीचे गिर गये। उक्त घटना देख मेरी बहन भी कार से नीचे उतर गयी और अपने पति को छुडाने की कौशिश करने लगी परन्तु विपक्षीगण ने मेरी बहन के साथ भी अभद्रता पूर्ण व्यवहार किया और गाली गलौच की और सिर से डुपट्टा खींच दिया और सरे आम हिमांशु यादव ने मेरी बहन के मुंह पर चाटा मार दिया। जिससे वह नीचे गिर गयी और उसको भी काफी खुली व गम्भीर चोटे आयी, सभी टोल कर्मीयोधविपक्षीगण ने मेरे बडे भाई आसिफ व राजा के साथ भी बुरी तरह से मारपीट करनी शुरू कर दी। वहां पर लोग इकट्ठा हो गये और बमुश्किल टोल कर्मीयो से अरसलान पुत्र मंसूर व सलमान आदि ने बमुश्किल छुडाया। उक्त घटना की बाबत मुझे मेरे बडे भाई ने फोन के माध्यम से सूचना दी तब हम कोर्ट से घर की ओर लौट रहे थे तब मैं और मेरा छोटा भाई वासिफ जो अभी वकालत की पढाई कर रहा है जो मेरे साथ सिविल कोर्ट सहारनपुर मे जूनियर शिप (ट्रेनिंग) करता है हम दोनो भाई कोर्ट से गागलहेडी तक ही पहुंचे थे। मैने अपने फोन नं० 9084401545 से डायल 112 पर उक्त घटना की सूचना दी, मेरे व मेरे भाई के पहुंचने से पहले ही डायल 112 टोल पर पहुंच गयी और मेरे भाई व बहनोई व बुआ के लडके राजा को हिरासत में ले लिया। जब मै और मेरा छोटा भाई टोल पर पहुंचे तो टोल कर्मीयो ने मेरे छोटे भाई के साथ बदत्तमीजी करने लगे और उसके हाथ से दिनांक 19.05.2026 ई० की सेशन ट्रायल की मूल पत्रावलियों जो बैग में मौजूद थी बैग को विपक्षी शिवम ने छीन लिया और प्रार्थी के साथ भी अभद्र व्यवहार करने लगे। जिस वक्त मूल पत्रावलियों का बैग विपक्षी शिवम ने छीना तब डायल 112 पुलिस भी घटना स्थल पर मौजूद थी उन्होने टोल कर्मीयो को समझाया पर वह नही माने तब 112 पुलिस ने मेरे भाई वासिफ व तीन टोल कर्मीयो को अपने साथ कार मे बैठा लिया और थाना हाजा पर ले गये। मेरे बहनोई के सिर से काफी खून बह रहा था जिसका थाना हाजा वालो ने सी०एस०सी फतेहपुर में मैडिकल कराया। जिनके तीन टांके सिर में आये। थाना हाजा की पुलिस ने टोल कर्मीयो के साथ साज घाठ करके मेरे दोनो भाई व बहनोई व बुआ के लडके आदि के खिलाफ झूठा मुकदमा थाना फतेहपुर पर पंजीकृत करा दिया और उक्त व्यक्तियो का 126, 135, 170 बी0एन0एस०एस मे झूठा चालान कर दिया। प्रार्थी का छोटा भाई जो प्रार्थी के साथ कोर्ट गया हुआ था वह घटना के समय उपस्थित भी नही था लेकिन उसके बावजूद भी थाने वालो ने मेरे छोटे भाई वासिफ का चालान उक्त धाराओ मे कर दिया और प्रार्थी की एक ना सुनी। प्रार्थी ने थाना फतेहपुर पर लिखकर तहरीर दी थी परन्तु थाने वालो ने प्रार्थी की तहरीर नही ली और कोई कानूनी कार्यवाही किसी प्रकार की नही की।

प्रार्थी की ओर से अपने प्रार्थनापत्र के समर्थन में एस0एस0पी0 सहारनपुर को दिये गये प्रार्थनापत्र की नकल, डाक रसीद, आधार कार्ड, चिकित्सीय प्रपत्र की छायाप्रतियॉ दाखिल की गयी है।

पत्रावली का परिशीलन किया गया।

संबधित थाने की आख्यानुसार दिनांक 19.5.2026 को अनिल त्रिपाठी टोल मैनेजर सैय्यद माजरा टोल प्लाजा चमारीखेड़ा थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1. साहिब उर्फ राजा पुत्र फैय्याज निवासी सोहलपुर गाडा थाना गंगनहर जिला हरिद्वार, 2. इसरार पुत्र बसीर निवासी ग्राम चांदपुर उर्फ अमरपुर थाना गाग्रलहेडी जनपद सहारनपुर 3. सलमान पुत्र वसीर निवासी ग्राम चांदपुर उर्फ अमरपुर थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर 4. अर्शलान पुत्र मन्सूर निवासी ग्राम मोहम्मदपुर तिवाई (सैय्यद माजरा) थाना गागलहेडी 5. वासीफ 6. आसिफ पुत्रगण इरशाद निवासीगण ग्राम मोहम्मदपुर तिवाई (सैय्यद माजरा) थाना गागलहेडी सहारनपुर द्वारा कार संख्या UK17H9856 चालक राजा पुत्र फैय्याज निवासी ग्राम सोहलपुर थाना गंगनहर जिला हरिद्वार की कार बुथ न० 3 पर आकर रूकना जिसकी आईडी को स्टाफ द्वारा चौक किया जाना

किसी अन्य व्यक्ति की आईडी पाया जाना तथा स्टाफ द्वारा मना करने पर स्टाफ के साथ कार चालक द्वारा मारपीट करना व 3–4 अन्य व्यक्ति मौके पर बुला लेना तथा टोल पर तोड फोड करना व स्टाफ के साथ मारपीट करना तथा 40 मिनट तक टोल को फ्री करना एंव आवागमन को बाधित करना व सरकारी सम्पत्ति व राजस्व का नुकसान होने के सम्बन्ध मे लाकर दाखिल किया। दाखिला प्रार्थना पत्र के आधार पर मु०अ०सं० कायमी मु0अ0सं0 194/26 धारा 191(2)/191(3) 126(2)/115(2) 324(4)/3(5) बीएनएस व 3(1) सार्व सम्पत्ति नुकसान निवा० अधि० बनाम साहिब उर्फ राजा उपरोक्त आदि के विरुद्ध पजीकृत होकर विवेचना आदेशानुसार थाना प्रभारी के मुझ वरिउ०नि० के सुपुर्द की गयी। तमामी विवेचना, बयान वादी निरीक्षण घटना स्थल बयान गवाह आदि साक्ष्य संकलन से अभियुक्तगण 1. साहिब उर्फ राजा पुत्र फैय्याज निवासी सोहलपुर गाडा थाना गंगनहर जिला हरिद्वार 2. इसरार पुत्र बसीर निवासी ग्राम चांदपुर उर्फ अमरपुर थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर 3. सलमान पुत्र वसीर निवासी ग्राम चांदपुर उर्फ अमरपुर थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर 4. अर्शलान पुत्र मन्सूर निवासी ग्राम मोहम्मदपुर तिवाई (सैय्यद माजरा) थाना गागलहेडी 5. वासीफ 6. आसिफ पुत्रगण इरशाद निवासीगण ग्राम मोहम्मदपुर तिवाई (सैय्यद माजरा) थाना गागलहेडी सहारनपुर के विरुद्ध जुर्म धारा 191(2), 191(3), 126(2), 115(2) 324(4), 3(5) बीएनएस व 3(1) सार्व सम्पत्ति नुकसान निवा० अधि० का अपराध बाखुबी साबित होने के कारण अभियुक्तगण साहिब उर्फ राजा, इसरार, सलमान, अर्शलान, वासीफ, आसिफ उपरोक्त का चालान जुर्म धारा 191(2), 191(3), 126(2), 115(2), 324(4), 3(5) बीएनएस व 3(1) सार्व सम्पत्ति नुकसान निवा० अधि० मे आरोप पत्र संख्या 152/26 को दिनांक 31.5.2026 को न्यायालय किया जा चुका है। इस संबंध में थाना हाजा के रजिस्ट्रान संबंधित के अवलोकन व ग्राम अपराध रजिस्टर संख्या 4 के अवलोकन से थाना हाजा पर उक्त प्रकरण में अभियोग पंजीकृत है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र में विपक्षीगण द्वारा की गई मारपीट, महिला के साथ अभद्रता, जानलेवा हमला, मूल न्यायालयीन पत्रावली छीनने तथा पुलिस द्वारा निष्पक्ष कार्यवाही न किए जाने के गंभीर एवं संज्ञेय अपराधों के स्पष्ट आरोप लगाए गए हैं। प्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में चिकित्सीय प्रपत्र, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रेषित प्रार्थना–पत्र एवं अन्य अभिलेख भी प्रस्तुत किए हैं। न्यायालय द्वारा प्रार्थना–पत्र को निरस्त करते समय केवल संबंधित थाना द्वारा प्रस्तुत आख्या एवं इस आधार पर कि विपक्षीपक्ष की तहरीर पर पूर्व में अभियोग पंजीकृत होकर आरोप–पत्र प्रेषित किया जा चुका है, उसी को आधार बनाकर प्रार्थना–पत्र निरस्त कर दिया गया है। आदेश में यह परीक्षण नहीं किया गया कि प्रार्थी की तहरीर स्वयं स्वतंत्र रूप से संज्ञेय अपराध का प्रकटीकरण करती है अथवा नहीं तथा क्या उसके संबंध में पृथक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर निष्पक्ष विवेचना कराया जाना आवश्यक था।

यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि यदि किसी व्यक्ति की तहरीर से पृथक एवं स्वतंत्र संज्ञेय अपराध का प्रथमदृष्टया प्रकटीकरण होता है, तो मात्र इस आधार पर कि उसी घटना के संबंध में विपक्षीपक्ष की ओर से पूर्व में अभियोग पंजीकृत होकर आरोप–पत्र प्रेषित किया जा चुका है, प्रार्थी की शिकायत को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। क्रॉस–एफआईआर अथवा काउंटर वर्जन भी विधि द्वारा मान्य है और दोनों मामलों की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष विवेचना अपेक्षित होती है। यह अविवादित है कि प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य विवादोपरान्त लडाई–झगडा हुआ है। न्यायालय द्वारा प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों, उपलब्ध दस्तावेजों एवं संज्ञेय अपराध के प्रथमदृष्टया प्रकटीकरण का समुचित परीक्षण किए बिना केवल पुलिस आख्या के आधार पर प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाना विधिसम्मत एवं न्यायोचित प्रतीत नहीं होता। प्रार्थना पत्र में वर्णित घटनाक्रम एवं प्रार्थी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर प्रथमदृष्टया संज्ञेय अपराध का घटित होना प्रतीत होता है।

अतः प्रश्नगत प्रकरण में समस्त विधिक कार्यवाहियों के निर्धारण के लिए थाना हाजा पर उक्त मामले में प्राथमिकी दर्ज कराना न्यायोचित होगा। उक्त वर्णित परिस्थितियों में यह समीचीन प्रतीत होता है कि पुलिस द्वारा निष्पक्ष विवेचना की जाए ताकि घटना की वास्तविकता एवं सत्य स्पष्ट रूप से सामने आ सके। अतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **"ललिता कुमारी बनाम उ०प्र० राज्य (2014) 2 SSC 1"** में प्रतिपादित सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी के ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 स्वीकार किया जाता है। संबंधित थानाध्यक्ष/प्रभारी निरीक्षक को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रार्थना पत्र के परिपेक्ष्य में सुसंगत धाराओं में नियमतः अभियोग पंजीकृत कर, नियमानुसार विवेचना करें अथवा कराये तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट की एक प्रति आदेश प्राप्ति के 24 घण्टे के अंतर्गत न्यायालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

इस आदेश की एक प्रति पैरोकार के माध्यम से अनुपालनार्थ सम्बन्धित थानाध्यक्ष को प्रेषित की जाए।

(गौरव सिंह)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय
सहारनपुर,
जी0ओ0 कोड UP 3203